न्यायधीश तेजिंदर सिंह ढींडसा के समक्ष

डॉ. स्नेह लता शर्मा-याचिका एर

बनाम

हरियाणा लोक सेवा आयोग

और अन्य-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपीनं. 2011 का 18254

फरवरी 21,2013

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14, 16 - एचपीएससी द्वारा हरियाणा शिक्षा विभाग में व्याख्याता (कॉलेज कैडर) एचईएस-एच (ग्रुप बी) के रूप में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन, - याचिकाकर्ता पिछड़े वर्ग से थी, उसे इस आधार पर साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई कि उसने साक्षात्कार की तिथि पर पीएचडी नहीं की थी - मेरा मानना है, याचिकाकर्ता को उस अवधि के दौरान पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई जब साक्षात्कार अभी भी चल रहे थे - सार्वजनिक सूचना दिनांक 25.7.2014 में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार आयोजित होने की तारीख तक पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है, उन्हें पात्र माना जाएगा - व्याख्याता पद के लिए साक्षात्कार 26.9.2011 तक भी आयोजित किए गए थे - याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार न करने की आयोग की कार्रवाई को चुनौती दी गई - आयोजित 12.9.2011 को पीएचडी की डिग्री हासिल करने के संबंध में याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया, जबकि व्याख्याता पद के लिए साक्षात्कार 26.9.2011 तक सार्वजनिक सूचना में शर्तों के स्पष्ट विरोधाभास के कारण आयोजित किए गए थे - आयोग की कार्रवाई अनुचित और अनुचित है - रिट याचिका अनुमति दी गई है।

यह निर्धारित गया है कि जो उम्मीदवार किसी विज्ञापन के जवाब में किसी विशेष पद के लिए आवेदन करते हैं और चयन की प्रक्रिया के अधीन होते हैं, वे विज्ञापन में निहित नियमों और शर्तों के आलोक में चयन के लिए विचार किए जाने का निहित अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। भले ही किसी उम्मीदवार को केवल पात्र होने और विज्ञापन के जवाब में आवेदन जमा करने के आधार पर पद पर कोई अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन मौजूदा नियमों और शर्तों और पात्रता की ऐसी शर्तों और शर्तों के अनुसार उसके पक्ष में अधिकार बनता है। विज्ञापन में चयन की प्रक्रिया के बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता है। पात्रता। पीएचडी प्राप्त करने के बावजूद याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया। 12.9.2011 को डिग्री और दूसरी ओर, व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद के लिए 26.9.2011 तक साक्षात्कार आयोजित करना सार्वजनिक सूचना दिनांक 25.7.2011 में निहित विशिष्ट शर्त के स्पष्ट विरोधाभास में होगा। इस प्रकार, प्रतिवादी-आयोग की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित और अनुचित है और अगर इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की कसौटी पर परखा जाए तो यह तर्कसंगतता और निष्पक्षता की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा।

(पैरा 14)

आगे कहा गया है कि भले ही चयन की शक्ति प्रतिवादी-आयोग के पास निहित है, लेकिन जहां तक प्रक्रियात्मक पहलू को अपनाने का सवाल है, उसे निरंकुश छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह आयोग को इसकी कीमत पर उपलब्ध होगी। निष्पक्ष खेल, अच्छे विवेक और समानता की।

प्रतिवादी-आयोग की कार्रवाई अड़े रहने और 25.7.2011 के सार्वजनिक नोटिस में निहित अपने निर्णय पर अक्षरश: कार्रवाई न करने ने स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के पूर्वाग्रह और नुकसान के लिए काम किया है। 'प्रतिवादी आयोग, एक संवैधानिक निकाय और राज्य की प्रमुख भर्ती एजेंसी की कार्रवाई विश्वास को प्रेरित नहीं करती है।

(पैरा 15)

याचिका मंजूर।

सुभाष आहूजा, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

आई एल.एन. मचतानी, प्रतिवादी 1 और 2 के लिए वकील।

न्यायधीश तेजिंदर सिंह ढींडसा

(1)याचिकाकर्ता ने व्याख्याता (कॉलेज कैडर) एचईएस-1 के पद पर (ग्रुप 'बी')अंग्रेजी विषय में चयन और भर्ती के लिए उसकी उम्मीदवारी को खारिज करने में प्रतिवादी-हरियाणा लोक सेवा आयोग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए तत्काल रिट याचिका दायर की है।

(2) एक संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि आवश्यक होगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने दिनांक 28.10.2009 को एक विज्ञापन, अनुलग्नक पी1 जारी किया, जिसमें हरियाणा शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों में व्याख्याताओं (कॉलेज कैडर) के 475 अस्थायी पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए। अंग्रेजी विषय से संबंधित व्याख्याताओं के कुल 65 पद विज्ञापित किए गए थे। विज्ञापित ऐसे 65 पदों में से पांच पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित थे। जनसंचार को छोड़कर सभी विषयों को कवर करने वाले व्याख्याता के पद के लिए विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यताएँ निम्नलिखित प्रभाव वाली थीं:

“4. आवश्यक योग्यताएँ:

व्याख्याता (मास कम्युनिकेशन को छोड़कर सभी विषय)

ए) कम से कम 55 अंकों के साथ अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड या 7 पॉइंट स्केल में बी के समकक्ष ग्रेड अक्षर ग्रेड ओ, ए, बी, सी, जे के साथ) , किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री स्तर पर ई और एफ या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री।

बी)मैट्रिक मानक तक हिंदी/संस्कृत का ज्ञान।

सी)उपरोक्त योग्यताओं को पूरा करने के अलावा, उम्मीदवारों को यूजीसी, सीएसआईआर या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष द्वारा आयोजित व्याख्याताओं के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) पास करनी चाहिए।

नोट:

(1)व्याख्याता की भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/एसएलईटी न्यूनतम पात्रता शर्त बनी रहेगी कॉलेजों में। बशर्ते कि जिन उम्मीदवारों ने पीएच.डी. हासिल की है। 31 मई, 2009 तक की डिग्री को कॉलेजों में व्याख्याताओं या समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/एसएलईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट दी गई है, बशर्ते कि वे उम्मीदवार जो पीएचडी के लिए नामांकित थे। 31 मई, 2009 तक की डिग्री भी केवल

पीएच.डी. प्राप्त करने पर कॉलेजों में व्याख्याता या समकक्ष पद पर भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/एसएलईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट के लिए पात्र हो जाएगी।

(3)इसके बाद, प्रतिवादी-आयोग द्वारा निम्नलिखित शर्तों में दिनांक 25.7.2011 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई:

“थि स्ट्रिब्यून दिनांक 25.7.2011

आईआईआर्याना लोक सेवा आयोग

बेज़ नंबर 1-10, ब्लॉक बी, सेक्टर 4, पंचकुला।

घोषणा

यह उन उम्मीदवारों की सामान्य जानकारी के लिए घोषित किया गया है जिन्होंने प्रकाशित विज्ञापन संख्या 7(1) के जवाब में विभिन्न विषयों के लिए व्याख्याता (कॉलेज कैडर) के पदों के लिए आवेदन किया है। 28.10.2009 को हिंदुस्तान लाइम्स में। द ट्रिब्यून, दैनिक भास्कर और अमर उजाला और उसके बाद 22.12.2009 ^~^ 29.1.2010 को प्रकाशित शुद्धिपत्र में कहा गया कि आयोग ने इस मुद्दे पर विचार किया है और निर्णय लिया है कि जो उम्मीदवार पीएचडी के लिए नामांकित थे। 31.05.2009 को या उससे पहले की डिग्री, पीएचडी हासिल करने वाले व्याख्याताओं (कॉलेज कैडर) के पदों पर भर्ती के लिए नेट/एसएलईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट के लिए पात्र मानी जाएगी। विशेष विषय में साक्षात्कार के आयोजन की तिथि तक डिग्री।

एसडीएन

सचिव

हरियाणा लोक सेवा आयोग पंचकुला।

(4) यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित है और व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद के लिए पात्र होने के कारण उसने निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। इस दावे के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि विज्ञापन में, लेक्चरर के पद पर भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/एसएलईटी न्यूनतम पात्रता शर्त थी, और पीएचडी प्राप्त करने वाले उम्मीदवार। 31.5.2009 तक की डिग्री या पीएच.डी. के लिए नामांकित होना। 31.5.2009 तक की डिग्री को नेट/एसएलईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट दी गई थी। आईएल ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता ने पीएच.डी. के लिए नामांकित होने के कारण। 13.5.2008 को अंग्रेजी में डिग्री, पद के लिए विचार किए जाने के योग्य थी। 'मैं'एचसी प्रतिवादी-आयोग ने 12.9.2010 को एक स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने के संदर्भ में शॉर्ट-लिस्टिंग की प्रक्रिया का सहारा लिया था जिसमें याचिकाकर्ता विधिवत उपस्थित हुआ था और उसने कट-ऑफ -67 अंकों के मुकाबले 79 अंक हासिल किए थे। पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए निर्धारित। याचिकाकर्ता को 10.8.2011 को साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ऐसी तारीख पर उसे इस तर्क पर साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई कि उसने पीएचडी हासिल नहीं की है। साक्षात्कार की तिथि पर डिग्री i.c. 10.8.2011, और इस प्रकार, पद के लिए उनकी उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की जा सकी। दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता को पीएच.डी. से सम्मानित किया गया था। 12.9.2011 को डिग्री और, तदनुसार, उसने उसी तारीख को आयोग के कार्यालय में विधिवत प्राप्त दिनांक 14.9.2011 के एक लिखित अनुरोध के आलोक में

प्रतिवादी-आयोग से संपर्क किया था और प्रार्थना की थी कि चूंकि पद के लिए साक्षात्कार अंग्रेजी में व्याख्याता अभी भी चल रहे थे, तदनुसार, चयन और नियुक्ति के लिए उनके दावे पर अनुबंध पी 8 पर दिनांक 25.7.2011 की सार्वजनिक सूचना के आलोक में विचार किया जाएगा।

(5) याचिकाकर्ता की ओर से अपील करने वाले विद्वान वकील सुभाष आहूजा ने जोरदार तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को प्रारंभिक विज्ञापन दिनांक 28.10.2009 में निर्धारित नियमों और शर्तों के आलोक में व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर चयन के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। जिसके संदर्भ में, पद पर चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। विद्वान वकील यह तर्क देंगे कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने पीएच.डी. प्राप्त की है। 31.5.2009 तक की डिग्री को नेट/एसएलईटी पास करने से छूट दी गई थी और यहां तक कि याचिकाकर्ता जैसे ऐसे उम्मीदवारों को भी, जो पीएचडी प्राप्त करने के लिए पंजीकृत थे। 31.5.2009 तक की डिग्री को भी नेट/एस एलईटी उत्तीर्ण करने से छूट दी गई थी, लेकिन पीएचडी प्राप्त करने पर ही नियुक्तियाँ दी जानी थीं। पद के लिए चयनित होने पर डिग्री. यह तर्क दिया गया है कि चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, प्रतिवादी-आयोग द्वारा जारी 25.7.2011 के बाद के सार्वजनिक नोटिस के संदर्भ में खेल के नियमों को नहीं बदला जा सकता था, जिसके तहत एक नई शर्त लगाई गई थी कि केवल ऐसे उम्मीदवार जो लोग पीएच.डी. के लिए नामांकित हैं उन्हें नेट/एसएलईटी उत्तीर्ण करने की छूट के लिए पात्र माना जाएगा। 31.5.2009 को या उससे पहले की डिग्री और जिसने पीएच.डी. प्राप्त की हो। विशेष विषय में साक्षात्कार के आयोजन की तिथि तक की डिग्री। इस तरह की प्रस्तुति के आलोक में, प्रतिवादी-आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस दिनांक 25.7.2011 को रद्द करने की प्रार्थना भी वर्तमान याचिका में उठाई गई है।

(6) वैकल्पिक रूप से, श्री आहूजा, विद्वान वकील याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि दिनांक 25.7.2011 के पुराने सार्वजनिक नोटिस के अनुसार भी, याचिकाकर्ता को व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर विचार और चयन के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता को पीएच.डी. से सम्मानित किया गया था ।डी। 12.9.2011 को डिग्री और इस संबंध में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा जारी अधिसूचना और अनंतिम डिग्री, दोनों दिनांक 12.9.2011, अनुलग्नक पी 4 का उल्लेख होगा। विद्वान वकील प्रतिवादी-आयोग द्वारा जारी अनुलग्नक यूआरसी पी 11 और पी 12 में रिकॉर्ड पर रखे गए नोटिस का भी विज्ञापन करेंगे, जिसके तहत सामान्य और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से संबंधित व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद के लिए साक्षात्कार तय किए गए थे। 16.9.2011, साथ ही 26.9.2011 के लिए भी। विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि दिनांक 25.7.2011 की सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में भी, जिन उम्मीदवारों ने पीएच.डी. हासिल की है। विशेष विषय में साक्षात्कार के आयोजन की तारीख तक की डिग्री को नेट/एसएलईटी उत्तीर्ण करने से छूट दी गई थी, और याचिकाकर्ता ने पीएच.डी. प्राप्त कर ली थी। 12.9.2011 को डिग्री और व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद के लिए साक्षात्कार 26.9.2011 तक जारी रहने के बाद, याचिकाकर्ता को व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर चयन के लिए पात्र माना जाना था। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करने और यहां तक कि उसे साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं देने की प्रतिवादी-आयोग की कार्रवाई मनमानी और भेदभावपूर्ण है।

(7)प्रति विपरीत, श्री एचएन प्रतिवादी-आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील मेहतानी ने प्रस्तुत किया कि आयोग द्वारा 18.7.2011 को आयोजित अपनी बैठक में एक वास्तविक निर्णय लिया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि जो उम्मीदवार पीएचडी के लिए नामांकित थे। 31.5.2009 को या उससे पहले की डिग्री को व्याख्याता (कॉलेज कैडर) के पद पर भर्ती के लिए नेट/एसएलईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त से छूट के लिए पात्र माना जाएगा, जिन्होंने पीएचडी हासिल की है। किसी विशेष विषय में साक्षात्कार के आयोजन की तिथि तक की

डिग्री। दायर किए गए लिखित बयान में आयोग की ओर से स्पष्ट रुख यह है कि याचिकाकर्ता को 10.8.2011 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और उस तारीख तक उसने पीएचडी हासिल नहीं की थी। नेट/एसएलईटी पास करने की छूट का दावा करने के संबंध में डिग्री, तदनुसार, याचिकाकर्ता को पद के लिए अयोग्य माना गया था। प्रतिवादी के विद्वान वकील- आयोग ने आगे तर्क दिया है कि चूंकि चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए रिट याचिका निरर्थक हो गई है और इस स्तर पर याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। विद्वान वकील रिट याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना करेंगे।

(8) इसमें नोटिस की आवश्यकता होगी कि याचिकाकर्ता ने प्रतिनिधि क्षमता में चयनित उम्मीदवारों के रूप में निजी उत्तरदाताओं संख्या 4 से 11 को शामिल किया था। सेवा प्रभावित होने के बावजूद, उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6, 8 से 11 ने प्रतियोगिता में शामिल नहीं होने का विकल्प चुना था। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से विद्वान वकील उपस्थित हुए हैं, लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

(9) मैंने पार्टियों के वकील को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड पर दलीलों का अध्ययन किया गया है।

10) इस प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं होगा कि जो उम्मीदवार किसी विज्ञापन के जवाब में किसी विशेष पद के लिए आवेदन करते हैं और चयन की प्रक्रिया के अधीन होते हैं, उन्हें नियम और शर्तों के आलोक में चयन के लिए विचार किए जाने का निहित अधिकार प्राप्त होता है। विज्ञापन में ही निहित है. भले ही किसी उम्मीदवार को केवल पात्र होने और विज्ञापन के जवाब में आवेदन जमा करने के आधार पर पद पर कोई अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन मौजूदा नियमों और शर्तों और पात्रता की ऐसी शर्तों और शर्तों के अनुसार उसके पक्ष में अधिकार बनता है। चयन प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता। इस संबंध में एन.टी.डेविन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग[1] और पी. महेंद्रन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य[2] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है।

(11) वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, 28.10.2009 के प्रारंभिक विज्ञापन में, जिसमें नेट/एसएलईटी पास करने की न्यूनतम पात्रता शर्त रखी गई थी, उम्मीदवारों के पक्ष में इससे छूट दी गई थी जिन्होंने पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की थी। 31.5.2009 तक की डिग्री, और ऐसे उम्मीदवारों के लिए भी जो पीएच.डी. के लिए नामांकित थे। 31.5.2009 तक की डिग्री, लेकिन चयनित होने पर, पीएचडी प्राप्त करने पर ही नियुक्तियाँ दी जानी थीं। डिग्री। इस प्रकार, पीएच.डी. के अधिग्रहण के लिए कोई विशिष्ट कट-ऑफ तिथि निर्धारित नहीं थी। जहां तक याचिकाकर्ता जैसे उम्मीदवारों का सवाल है, जिन्होंने 31.5.2009 से पहले ऐसी योग्यता के लिए खुद को नामांकित किया था, डिग्री। ऐसी अनिश्चितता को दूर करने के लिए ही प्रतिवादी-आयोग ने एक निर्णय लिया और दिनांक 25.7.2011 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, अनुलग्नक P8, जिसमें स्पष्ट किया गया कि वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने पीएच.डी. के लिए नामांकन किया था। 31.5.2009 को या उससे पहले की डिग्री और व्याख्याता (कॉलेज कैडर) के पद पर भर्ती के प्रयोजनों के लिए नेट/एसएलईटी उत्तीर्ण करने से छूट की मांग कर रहे थे और को पीएच.डी. हासिल करनी थी। विशेष विषय में साक्षात्कार के आयोजन की तिथि तक की डिग्री। इस संबंध में प्रतिवादी-आयोग के निर्णय में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

---

[1] 1992(1) आरएसजे 630

[2] एआईआर 1990 एससी 405

(12)कुछ तथ्य जो स्पष्ट प्रकृति के हैं और जिन पर कोई विवाद नहीं है, वे बताते हैं कि याचिकाकर्ता ने पीएचडी के लिए नामांकन किया था। 31.5.2009 से पहले की डिग्री। उन्हें 10.8.2011 को गहन प्रतियोगिता के लिए बुलाया गया था। याचिकाकर्ता को पीएच.डी. से सम्मानित किया गया था। 12.9.2011 को डिग्री। याचिका में स्पष्ट कहा गया है कि अनुलग्नक पी 11 और पीएल 2 पर दिए गए नोटिस में, उम्मीदवारों को 16.9.2011 और 26.9.2011 को व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद के लिए साक्षात्कार के लिए प्रतिवादी-आयोग द्वारा बुलाया गया था।

(13) आयोग की ओर से दायर जवाब में विशेष रूप से स्वीकार किया गया है। और व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर भर्ती इस तथ्य के आधार पर कि उसने पीएच.डी. हासिल कर ली है। 12.9.2011 को डिग्री, जबकि व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद के लिए साक्षात्कार 26.9.2011 तक भी आयोजित किए गए थे।

(14)सार्वजनिक सूचना दिनांक 25.7.2011 में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट और स्पष्ट थी। जिन अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ था उन्हें पीएच.डी. के लिए नेतृत्व किया गया। 31.5.2009 को या उससे पहले की डिग्री केवल पीएचडी प्राप्त करने पर ही पात्र मानी जाएगी। विशेष विषय में साक्षात्कार के आयोजन की तिथि तक की डिग्री। प्रतिवादी-आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस दिनांक 25.7.2011 को जारी करने का पूरा उद्देश्य विश्वसनीयता प्राप्त करने की तारीख के संबंध में मामले को स्पष्ट करना था। 'जैसा कि दिनांक 25.7.2011 की सार्वजनिक सूचना में निहित है, उसे एक उम्मीदवार के दृष्टिकोण से अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा कि पात्र होने के लिए, पीएच.डी. उस विशेष विषय में साक्षात्कार के आयोजन की अंतिम तिथि तक डिग्री प्राप्त करनी होगी। आयोग ने व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद के लिए 26.9.2011 तक साक्षात्कार होने की बात स्वीकार की है। इस प्रकार, साक्षात्कार की तिथि पर याचिकाकर्ता को अयोग्य मानने के मामले में आयोग के लिए कोई रुख अपनाना संभव नहीं था। 10.8.2011 इस आधार पर कि उसने पीएच.डी. प्राप्त की। डिग्री केवल 12.9.2011 को। आयोग की ओर से इस तरह के रुख को स्वीकार करने से पीएचडी प्राप्त करने के लिए कट-ऑफ हो जाएगी। डिग्री उम्मीदवार विशिष्ट और इस प्रकार, यह एक परिवर्तनीय तिथि होगी। इस तरह की कार्रवाई निश्चित रूप से हेरफेर की गुंजाइश छोड़ेगी। याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया, भले ही उसने पीएच.डी. प्राप्त कर ली हो। डिग्री 12.9.2011 और दूसरी ओर, [व्याख्याता (प्रथम अंग्रेजी) के पद के लिए 26.9.2011 तक साक्षात्कार आयोजित करना सार्वजनिक सूचना दिनांक 25.7.2011 में निहित विशिष्ट शर्त के स्पष्ट विरोधाभास में होगा। .'इस प्रकार, प्रतिवादी-आयोग की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित और अनुचित है और और अगर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की कसौटी पर परखा जाए तो यह तर्कसंगत और निष्पक्षता की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा।

(15) जहां तक प्रक्रियात्मक पहलू को अपनाने का संबंध है, उसे निरंकुश छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह निष्पक्ष खेल, अच्छे विवेक और समानता की कीमत पर आयोग को उपलब्ध होगा। याचिकाकर्ता ने 14.9.2011 को ही लिखित अनुरोध के साथ आयोग से संपर्क किया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने पीएचडी हासिल कर ली है। डिग्री 12.9.2011 और व्याख्याता (अंग्रेजी) पद के लिए साक्षात्कार अभी भी चल रहे हैं। प्रतिवादी-आयोग की अड़े रहने की कार्रवाई और दिनांक 25.7.2011 के सार्वजनिक नोटिस में निहित अपने निर्णय पर अक्षरश: कार्रवाई न करने से स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह और हानि हुई है। प्रतिवादी-आयोग, एक संवैधानिक निकाय और राज्य की प्रमुख भर्ती एजेंसी की कार्रवाई आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना खुला होगा।

(16) इस न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि प्रतिसाद एंट-कॉम मिशन की कार्रवाई मनमानी के दोष से ग्रस्त है, इस न्यायालय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए हस्तक्षेप करना खुला होगा।

(17) तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और प्रतिवादी-आयोग की कार्रवाई को रोकने में याचिकाकर्ता को व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद के लिए अयोग्य मानते हुए कानून की दृष्टि से बुरा माना जाता है। व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद के लिए याचिकाकर्ता का साक्षात्कार लेने के लिए प्रतिवादी-आयोग को निर्देश जारी किए गए हैं। इस तरह के अभ्यास के अनुसरण में और याचिकाकर्ता द्वारा चयनित अंतिम उम्मीदवार की तुलना में उच्च योग्यता स्थान हासिल करने की स्थिति में, याचिकाकर्ता की प्रश्नाधीन पद पर नियुक्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए परिणामी कदम भी प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा उठाए जाएंगे। कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए।

(18)याचिका उपरोक्त शर्तों के साथ स्वीकार की जाती है।

एम जैन

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा